3/5 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 16/5/.. को पेश हो।

16/5 पत्रावली पेश हुई। आज अधिवक्तागण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/5/.. को पेश हो। रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त

19/5 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी हाजिर। बहस रिपोर्ट तहसीलदार पर सुनी गई। आवेदन के तथ्यों व रिपोर्ट तहसीलदार से सन्तुष्ट होने पर आवेदन को स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया। रिपोर्ट तहसीलदार निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सकम से हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज पेश इजलास से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– निखिल कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र मुकदमा नम्बर :– **105/2024**
तारीख दायर :– **05.08.2024**

उनवान

1. राम अवतार शर्मा पुत्र मोहल लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न 29, नाटोरियों की छतरी के पास, सीकर तहसील व जिला सीकर हॉल निवासी डी–43, शांति नगर, हसनपुरा, जयपुर

—प्रार्थी—

बनाम

1. तहसीलदार, भूमिधारी तहसील कार्यालय सीकर

—अप्रार्थी—

उपस्थित :–

अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री कालूराम सैनी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :—

दिनांक :–19.05.2025

1. प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता एक आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम पेश किया गया जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 946/173 रकबा 0.03 हैक्ट, खसरा नम्बर 947/173 रकबा 1.0200 हैक्ट कुल किता 02 कुल रकबा 1.05 हैक्ट वाके ग्राम पिपल्यानगर पटवार हल्का मलकेडा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/6 भाग है तथा शेष भाग जमाबंदी में अंकित राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हैं। जब प्रार्थी पटवारी पटवार हल्का से जमाबंदी की नकल ली तो उसे पटवारी द्वारा बताया गया कि आपका नाम राम अवतार शर्मा है जबकि

जमाबंदी में आपका नाम रामोतार अंकित है जिस पर प्रार्थी को रेवेन्यू कर्मचारी तथा अधिकारी द्वारा सहवन से हुई भूल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।

2. प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक आदि में प्रार्थी का नाम राम अवतार शर्मा है जबकि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सहवन से रामोतार अंकित हो गया है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम राम अवतार शर्मा ही है

3. अतः श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि खसरा नम्बर 946/173 रकबा 0.03 हैक्ट, खसरा नम्बर 947/173 रकबा 1.0200 हैक्ट कुल किता 02 कुल रकबा 1.05 हैक्ट वाके ग्राम पिपल्यानगर पटवार हल्का मलकेडा तहसील व जिला सीकर में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामोतार के स्थान पर राम अवतार शर्मा किये जाने के आदेश जारी करने का श्रम करावें।

4. प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट तहसीलदार हेतु तहरीर जारी की गई। प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार सीकर से रिपोर्ट क्रमांकः–भू.अ./2025/1225 दिनांक 27.03.2025 प्राप्त। रिपोट तहसीलदार का अवलोकन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी के दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम राम अवतार शर्मा पुत्र मोहन लाल है तथा विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामोतार पुत्र मोहनलाल दर्ज है। राम अवतार शर्मा पुत्र मोहनलाल व रामोतार पुत्र मोहन लाल एक ही व्यक्ति है तथा राम अवतार शर्मा को आम बोलचाल में रामोतार कहा जाता था तो राजस्व रिकॉर्ड में भी नाम रामोतार दर्ज हो गया है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक आदि में राम अवतार शर्मा ही दर्ज है। तहसीलदार सीकर द्वारा उक्त रिपोर्ट विवादित भूमि में काश्तकार का नाम रामोतार पुत्र मोहनलाल के स्थान पर राम अवतार शर्मा पुत्र मोहनलाल अंकित करने बाबत् भिजवाई गई है।

5. प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजों तथा रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम राम अवतार शर्मा ही है, सहवन से प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामोतार अंकित हो गया है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 946/173 रकबा 0.03 हैक्ट, खसरा नम्बर 947/173 रकबा 1.0200 हैक्ट कुल किता 02 कुल रकबा 1.05 हैक्ट वाके ग्राम पिपल्यानगर पटवार हल्का मलकेडा तहसील व जिला सीकर में खातेदार का नाम निम्न सारणी के अनुसार शुद्ध किये जाने की स्वीकृति भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों के तहत प्रदान की जाती है–

क्र. स.	अशुद्ध प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि
1.	रामोतार पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पिपल्यानगर तहसील व जिला सीकर	राम अवतार शर्मा पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पिपल्यानगर तहसील व जिला सीकर

तहसीलदार सीकर को निर्देश दिये जाते है कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार दर्ज करें, रिपोर्ट तहसीलदार निर्णय का भाग रहेगा। आदेश आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निखिल कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर